न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 145/2020
3. उनवान : सरकार जरिये ओमप्रकाश मट्टू निरीक्षक उर्वरक

बनाम

1. घासीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 घासीपुरा, पं.स. शाहपुरा (जयपुर)
2. शाहपुरा क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
3. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलायजर्स लि0, 40, जादौन नगर–बी, दुर्गापुरा रेल्वे स्टेशन के पास, दुर्गापुरा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 24.08.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित ।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी निरीक्षक उर्वरक ओमप्रकाश मट्टू द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.08.2010 को घासीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 घासीपुरा, पं. स0 शाहपुरा, जयपुर के गोदाम में आरसीएफएल अलीबाग, रायपुर द्वारा निर्मित 162 कट्टों में निर्धारित 50.00 किलो के स्थान पर 46.750 किलो प्रति कट्टा पाये जाने के कारण विक्रय पर रोक लगाकर दिनांक 18.10.2011 को जब्त किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कम यूरिया के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती, मौका पर्चा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 02.01.2013 को अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें अंकित किया कि जब्तशुदा यूरिया भुगतान प्राप्ति पश्चात उनकी फर्म द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 घासीपुरा को सप्लाई किया गया था। प्रकरण दिनांक 02.01.2013 को बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए फर्द जब्ती, मौका पर्चा आदि का हवाला देते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 24.08.2022. को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, फर्द जब्ती, मौका पर्चा, बहस एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 12.08.2010 को 162 कट्टों में निर्धारित 50.00 किलो के स्थान पर 46.750 किलो प्रति कट्टा पाये जाने के कारण जब्त किये गये। उक्त सामग्री के विक्रय पर उर्वरक अधिनियम के तहत 28(1) (डी) के अन्तर्गत रोक लगाई गई थी। ऐसे में कट्टों में वजन 3.250 किग्रा कम पाया जाना अवैध रूप से विक्रय करने के तथ्य को पुष्ट करता है। अप्रार्थी द्वारा जब्त यूरिया के कट्टों में वजन के कम होने की वैधता के संबंध में मौंके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा यूरिया के कट्टों के निर्धारित वजन में हेराफेरी की जा रही थी। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त घासीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 घासीपुरा, पं. स0 शाहपुरा, जयपुर के गोदाम में आरसीएफएल अलीबाग, रायपुर द्वारा निर्मित 162 कट्टे यूरिया (वजन 46.750 किग्रा प्रति कट्टा) को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर